संख्या– 12/2023 /001-2221-24-1-2022-13-2022

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषय:–वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक बजट के माध्यम से निजी नलकूप उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ/सब्सिडी के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–1399/अधि0नि0(वित्त) /वि0प्र0-2/आय–व्ययक/2022-23/426, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या–9 में राजस्व मतदेय मद के लेखाशीर्ष 2801-05-800-07-27 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ में 50 प्रतिशत छूट की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 1250,00,00,000/- (रूपये एक हजार दो सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जनवरी, 2023 में धनराशि रूपये 600,00,00,000/- (रूपये छह सौ करोड़ मात्र) तथा माह फरवरी, 2023 में धनराशि रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) एवं माह मार्च, 2023 में धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) को माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

(2) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –5 भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42जी/शुद्ध पत्र संख्या–426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 की शर्तो /दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,50,00,00,000 (रुपये बारह अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801058000700 निजी नलकूप उपभोक्ताओं को दिनांक 01-01-2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फलस्वरूप 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं 2022-2023 हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-125-X-2022-23-दिनांक:11-1-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या-12(1) /2023 /001-2221-24-1-2022-13-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 - महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2 - महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।